न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–74/2022 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया(पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) शाखा धान मण्डी स्टेशन रोड़ हनुमानगढ़ टाउन जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

––प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स पारस एग्री बिजनेस प्रो. श्रीमती पूनम गर्ग पत्नी श्री पारस गर्ग
   पता–(अ) दुकान नं. 46 बी के पीछे, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, धान मण्डी हनुमानगढ़ टाउन–335513।
   (ब) एच–42, रीको फेज 11, इण्डस्ट्रीयल एरिया हनुमानगढ़ जंक्शन–335512।
   (स) वार्ड नं. 17 गली नं. 07, पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन।

––ऋणी

2. श्री पारस गर्ग पुत्र श्री मदनलाल गर्ग
   पता–वार्ड नं. 17 गली नं. 07, पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन–335513।

––गारन्टर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश **दिनांकः–06.03.2024**

प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया(पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) जरिये प्राधिकृत अधिकारी औमप्रकाश की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 09.01.2012 को रूपये 12.25 लाख की केश क्रेडिट लिमिट लोन सुविधा जिसे प्रार्थी की मांग के अनुसार समय–समय पर नवीनीकृत किया गया तथा अन्तिम नवीनीकृत दिनांक 30.10.2014 को उक्त ऋण सुविधा को प्रार्थी की मांग के अनुसार बढ़ाते हुए रूपये 22 लाख किया गया। अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ ही श्री पारस गर्ग पुत्र श्री मदनलाल गर्ग की वार्ड नं. 17 गली नं. 07 पंजाबी मौहल्ला हनुमानगढ़ टाउन स्थित आवासीय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1560 वर्गफीट यानी 173.33 वर्गगज) तथा मैसर्स पारस एग्री बिजनेस का हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्टस, आउटस्टैण्डिंग, [illegible] एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि(हाईपोथिके[illegible] एग्री[illegible] में विस्तृत रूप से परिभाषित) को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक [illegible] किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:48 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक [illegible] चुकाया जिसकी वजह से ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर ऋणी के खाता [illegible] दिनांक 29.08.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में रूपये 23,41,505.50/– दिनांक 31.12.2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

उक्त ऋण खाता दिनांक 29.08.2019 को एन.पी.ए. घोषित होने के कारण प्रार्थी बैंक ने एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 13.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। उक्त प्रकरण में माननीय ऋण वसूली प्राधिकरण जयपुर द्वारा आदेश दिनांकित 25.10.2021 पारित किया गया कि बैंक सम्बन्धित ऋणियों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व 15 दिन का नोटिस देगा, उक्त आदेश की पालना में ऋणीयों को नोटिस दिनांक 19.05.2022 को जारी किया गया, परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज दिनांक तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न ही बंधकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर हाईपोथिकेशन स्टॉक जो बोरोवर्स स्टॉक, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्टस, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि(हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित) से सम्बन्धित स्टॉक सूची की नवीनत्तम स्थिति उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी बैंक स्टॉक का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋणी/जमानतदार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी वार्ड नं. 17 गली नं. 07 पंजाबी मौहल्ला हनुमानगढ़ टाउन स्थित आवासीय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1560 वर्गफीट यानी 173.33 वर्गगज) में स्थित है, जो कि पारस गर्ग पुत्र श्री मदनलाल गर्ग के नाम से है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते